15

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–175/2016 26 /पटना, दिनांक :– 4.8.22

श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, गोगरी अन्तर्गत जी०एन० बांध से सलारपुर जाने वाले पथ में उच्च स्तरीय पुल का त्रुटिपूर्ण डी0पी0आर0 समर्पित करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 406 अनु0 दिनांक 01.03.2017 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पासवान के पत्रांक शून्य दिनांक 07.04.2017 से प्राप्त स्पष्टीकरण में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि लोक निर्माण विभाग संहिता एवं लोक निर्माण लेखा संहिता के किसी कंडिका में कनीय अभियंता को कोई स्वतंत्र शक्ति प्राक्कलन के संदर्भ में प्राप्त नहीं है। साथ ही कहा गया कि आलोच्य उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए डी0पी0आर0 कनीय अभियंता, गोगरी के रूप में तैयार नहीं किया गया है अपितु कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित कनसल्टेन्ट द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किया गया है। जिसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त श्री पासवान द्वारा उल्लेख किया गया कि आलोच्य उच्चस्तरीय पुल निर्माण में कोई त्रुटि प्रतिवेदित नहीं है। जिन दो मदों 3.01 एवं 3.08 में बढ़ोत्तरी दिखाई गई उसका कार्यान्वयन उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। मद् संख्या–5.02 में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होने का उल्लेख श्री पासवान द्वारा किया गया।

3. श्री पासवान द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से करायी गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा अपने समीक्षा में उल्लेख किया गया कि विषयगत डी0पी0आर0 का मद सं0–3.01 सुपरस्ट्रक्चर के कंक्रीटिंग में बढ़ोतरी, मद सं0–3.08 Expansion joint की लम्बाई में बढ़ोतरी एवं मद सं0–5.02 इमबैंकमेन्ट निर्माण में मिट्टी कार्य की बढ़ोतरी से सम्बद्ध है। मद सं0–3.01 एवं 3.08 में बढ़ोतरी Miscalculation के कारण उत्पन्न हुई है परन्तु मद सं0–5.02 जो मिट्टी कार्य में बढ़ोतरी से संबंधित है, में बढ़ोतरी त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन निर्माण करने के कारण हुई है। पुल के पहुँच पथ के Existing level एवं प्राक्कलन में अंकित लेवेल में अन्तर होने के कारण कार्य में बढ़ोतरी हुई है। मिट्टी कार्य उच्च स्तरीय पुल के स्ट्रक्चर का Component नहीं है बल्कि इसका संबंध पुल के पँहुच पथ से है। उक्त आधार पर अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि मिट्टी कार्य की गणना करने एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिये कनीय अभियंता सक्षम पदाधिकारी है। अतः श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् उच्चस्तरीय पुल का प्राक्कलन (DPR) Consultant M/S Bucolic Surveyor and Developers (P) LTD. Patna द्वारा तैयार किया गया था। पुनरीक्षित प्राक्कलन मदों में हुए बढ़ोत्तरी के कारण उक्त Consultant से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। यह भी स्पष्ट हुआ कि पुल का प्राक्कलन प्रायः Consultant द्वारा ही तैयार किया जाता है तथा इसके लिए उन्हें निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाता है। व्यवहारिक रूप में परामर्शी द्वारा ही सभी सर्वे कार्य, निरूपण कार्य एवं उसके आधार पर

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Punishment

प्राक्कलन तैयार किया जाता है। ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण DPR तैयार करने के लिए अभियंताओं को पूर्णतः दोषी ठहराना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, किन्तु आंशिक रूप से दोषी हैं।

5. अतः उक्त के आलोक में मामले के सम्यक विचारोपरान्त श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी सम्प्रति सेवानिवृत के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निदंन (आरोप वर्ष 2012–13)

28/7/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–175/2016 1278 /पटना, दिनांक :– 4.8.22

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/22

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–175/2016 1278 /पटना, दिनांक :– 4.8.22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोगरी सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– ग्राम–मड़पा सिरपाल, पोस्ट–बसबिट्टा, भाया–बरहरबा, थाना–मेजरगंज, जिला–सीतामढ़ी, पिन कोड–843315 को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/22

अभियंता प्रमुख